(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रयासों में सरकार को किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है।

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान उत्पादन तथा रोजगार के संदर्भ में उपलब्धियों के साथ-साथ खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से निम्नलिखित मुख्य कृषि आधारित उद्योगों को आरंभ किया गया है:—

क्र०सं०	योजना	उत्पादन (अनुमानित) (करोड़ रु० में)	रोजगार (लाख में)
1.	मधुमक्खी पालन	14.81	1.95
2.	घानी तेल	360.00	0.90
3.	गुड़ और खाण्डसारी	212.88	2.14
4.	खजूर का गुड़	172.41	12.08
5.	अनाज तथा दालों का प्रसंस्करण	352.00	2.45
6.	फल एवं सब्जी तथा सुरक्षित रखना	32.61	0.32
7.	फाइबर	132.75	3.18

(ग) इन कृषि आधारित उद्योगों के लिये कार्यक्रम को पंजीकृत संस्थानों, सहकारी समितियों, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों तथा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों से जुड़े व्यक्तियों की सहायता से भी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

जयपुर में खान कर्मकारों का सम्मेलन

2226. **श्री सोमपाल**: क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सितंबर, 1994 में जयपुर में खनन कार्य और खान कर्मकारों की समस्याओं के संबंध में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में की गयी चर्चा के मुख्य मुद्दे क्या थे और क्या-क्या सिफारिशें की गयी थीं;

(ग) क्या सरकार सम्मेलन में व्यक्त किए गए इन विचारों से सहमत है कि खानों के समीप स्थिति गावों की ग्राम सभाओं और पंचायतों को खनन व्यापार (व्यवसाय) और खनन मजदूरों के कल्याण तथा पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित मामलों के संबंध में प्रभावी भूमिका अदा करने दी जाये;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार रखती है; और

(ड़) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ड़) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्यक्रम

2227. **श्री जगन्नाथ सिंह**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान बाल श्रमिकों की वर्ष-वार संख्या कितनी रही; और

(ख) बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) 1981 को जनगणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की संख्या 13.6 मिलियन थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर के अनुसार, देश में कामकाजी बालकों की संख्या 17.02 मिलियन थी। जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों से संबंधित आंकडे अभी जनगणना महापंजीयक द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं, अनुमान है कि वर्तमान में कामकाजी बालकों की संख्या 20.00 मिलियन है।

(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अनुसार बाल श्रम की समस्या को (i) विधान (ii) बालकों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रम, और (iii) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से निपटाया जा रहा है।

7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने के लिए पहले ही बाल श्रम (प्रतिषेद्य एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 नामक एक व्यापक कानून विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, बालकों के

हितों की रक्षा करने के लिए, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952 और मोटर वाहन (कर्मकार), अधिनियम, 1961 आदि जैसे विभिन्न अन्य श्रम कानूनों में सुरक्षात्मक उपबंध हैं। सरकार का दृष्टिकोण इन कानूनों के सभी बाल सम्बद्ध उपबंधों को सौहार्दपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करना है।

फिलहाल सरकार सन् 2002 तक खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत लगभग 2.00 मिलियन बालकों के पुनर्वास के कार्य में लगी हुई है। अभी तक, 76 बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है जिनमें विशेष स्कूलों के माध्यम से लगभग 1.5 लाख बालकों को शामिल किया जाएगा जहां उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार स्वास्थ्य देख-रेख और वृत्तिका आदि प्रदान की जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर बाल श्रम की बुराई के विरूद्ध एक व्यापक जागरूकता सृजन अभियान भी चलाया गया है। बाल श्रम की परम्परा के विरूद्ध लोगों को सजग करने के लिए देश में स्थित 133 सर्वाधिक बाल श्रम की बहुलता वाले जिलों को जागरूकता सृजन के लिए निधियां आबंटित की गई हैं।

OBC Certificate to Creamy Layer in New Delhi

2228. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether some Other Backward Classes certificates have been issued to persons of creamy category by New Delhi and South Delhi offices without thorough check of their eligibilities during January to June 1996;

(b) whether such certificates would benefit the fictitious people to avail of reservation facilities for their children during education and employment levels;

(c) whetehr Government propose to get these cases investigated thoroughly to weed out underserving people;

(d) whether Government propose to take action against such fictitious people as well as responsible staff who connived such shady deals; and

(e) if so, details thereof and if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) to (e): The information is being collected from UT administration and will be laid on the Table of the House.

Annual Growth of Coal

2229. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of COAL be pleased to state;

(a) whether India is not self-sufficient in the production of coal;

(b) if so, the details regarding the annual growth of coal alongwith the consumption as well as demand in the country;

(c) whether gap between the demand and availability is likely to increase during the current financial year; and

(d) if so, to what extent?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) The domestic production of coking coal of the quality required for metallurigical use is not adequate to meet the domestic demand. Some import of superior grade of coking coal is also necessary for blending purposes on quality considerations. The domestic production of superior grades of non-coking coal is limited. Some mismatch between the demand and availability of non-coking coals also occurs as a result of transport mismatches and due to unanticipated increase in demand.